

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2024/

दिनांक:

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा-12 (प्रोग्राम) आ. जॉच कार्यक्रम/2023-24/6485 दिनांक 28.12.2023 मे निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यक्रम में गठित जॉच दल	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	आदेशित अंकेक्षण लेखावधि	पूर्व में निर्धारित अंकेक्षण तिथि	अंकेक्षण हेतु संशोधित तिथि
2	श्री पवन प्रताप राजौरिया AAO-I दल सदस्य श्री विजय कुमार गौरा, AAO-I मुख्यालय।	सीएचसी खेजरौली, जयपुर	04/19 से 03/23	—	18.03.24 से 30.03.24
6	श्री रामचरण कुम्हार, AAO-I श्री महेन्द्र चौहान AAO-II जोन-जोधपुर	सीएचसी बायतु, (बालोतरा)	04/19 से 03/23	17.02.24 से 26.02.24	17.02.24 से 29.02.24

3d
वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 29/2/24

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2024/7655-59

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर/जयपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेजरौली, जयपुर।
3. श्री पवन प्रताप राजौरिया, सहा० लेखाधिकारी-प्रथम/श्री विजय कुमार गौरा, सहा० लेखाधिकारी-प्रथम को पालनार्थ।
4. श्री रामचरण कुम्हार, सहा० लेखाधिकारी-प्रथम/श्री महेन्द्र चौहान, सहा० लेखाधिकारी-द्वितीय को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करे।

4
वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर